

## फार्म - चार

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
[30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-16 देखें]  
व्यापार बन्द करने की सूचना

सेवा में,

कर निर्धारण अधिकारी,,  
मण्डल / खण्ड-----  
-----

महोदय,

सर्वश्री-----जिसका मुख्य व्यापार स्थल ----- में  
स्थित है जो वाणिज्य कर खण्ड / मण्डल ----- के क्षेत्राधिकार में आता है और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 /  
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र टिन  धारक है।

मेरे द्वारा व्यापार दिनांक-----से बन्द कर दिया गया है।

अतः मैं अपना पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध करता हूँ कि दि0----- से मेरी पत्रावली बन्द करने का कष्ट करें।  
संलग्नक - फार्म - ग्यारह मूल रूप में।

स्थान:

भवदीय,

तिथि:

हस्ताक्षर

नाम

प्रास्थिति

मुहर

---

नोट:- इस प्रार्थना पत्र पर 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा।